प्रेषक,

मदन मोहन,

विशेष सचिव

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ दिनांक 16 अगस्त, 2023*

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बाबू पुत्र श्री खेमकरन, निवासी जनपद-पीलीभीत की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-16636/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-01-05-2023) दिनांक-19-05-2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बाबू पुत्र श्री खेमकरन, ग्राम-बरहा, थाना-सुनगढ़ी, जनपद-पीलीभीत का रहने वाला है। गंगाराम रेलवे में नौकरी करता था, दिनांक 06-08-2006 को दोपहर में शराब पीकर नशे में गालियां बक रहा था। इसी कारण बन्दी ने 02 सहअभियुक्त के साथ मिलकर बांका, फरसा,सरिया से मारकर उसको घायल कर दिया, जिसकी अस्पताल में मृत्यु हो गयी एवं प्रेमशंकर नामक व्यक्ति को घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-525/2006 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 323/34, 504 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0-06 पीलीभीत के आदेश दिनांक 08.02.2010 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 27.07.2022 तक अपरिहार 14 वर्ष, 10 माह, 05 दिन तथा सपरिहार 19 वर्ष, 01 दिन सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति की बैठक दिनांक 01-10-2022, जिसमें पुलिस अधीक्षक एवं जिला प्राबेशन अधिकारी, पीलीभीत द्वारा प्रतिभाग किया गया। जिला स्तरीय समिति ने मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि गंगाराम रेलवे में नौकरी करता था, दिनांक-06-08-2006 को दोपहर में शराब पीकर नशे में गालियां बक रहा था। इसी कारण बन्दी ने 02 सहअभियुक्त के साथ मिलकर बांका, फरसा,सरिया से मारकर गंगाराम नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी बाबू पुत्र श्री खेमकरन को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बाबू (बन्दी संख्या-47588) पुत्र श्री खेमकरन, निवासी जनपद-पीलीभीत की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 मे निहित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

मदन मोहन

विशेष सचिव।

संख्या-522/2023/2345(1)/22-2-2023 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत।

2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।

5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित रिट याचिका (क्रि0) सं0-164/2022 राजेन्द्र व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.05.2022 के समादर में आवश्यक कार्यवाही हेतु।

6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

अजय कुमार तिवारी

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-522/2023/2345/22-2-2023-17(684)/2023

दिनांक 16 अगस्त, 2023 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बाबू पुत्र श्री खेमकरन, ग्राम-बरहा, थाना-सुनगढ़ी, जनपद-पीलीभीत का रहने वाला है। गंगाराम रेलवे में नौकरी करता था, दिनांक 06-08-2006 को दोपहर में शराब पीकर नशे में गालियां बक रहा था। इसी कारण बन्दी ने 02 सहअभियुक्त के साथ मिलकर बांका, फरसा,सरिया से मारकर उसको घायल कर दिया, जिसकी अस्पताल में मृत्यु हो गयी एवं प्रेमशंकर नामक व्यक्ति को घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-525/2006 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 323/34, 504 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0-06 पीलीभीत के आदेश दिनांक 08.02.2010 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 27.07.2022 तक अपरिहार 14 वर्ष, 10 माह, 05 दिन तथा सपरिहार 19 वर्ष, 01 दिन सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति की बैठक दिनांक 01-10-2022, जिसमें पुलिस अधीक्षक एवं जिला प्राबेशन अधिकारी, पीलीभीत द्वारा प्रतिभाग किया गया। जिला स्तरीय समिति ने मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि गंगाराम रेलवे में नौकरी करता था, दिनांक-06-08-2006 को दोपहर में शराब पीकर नशे में गालियां बक रहा था। इसी कारण बन्दी ने 02 सहअभियुक्त के साथ मिलकर बांका, फरसा,सरिया से मारकर गंगाराम नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी बाबू पुत्र श्री खेमकरन को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

मदन मोहन

विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।